राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

<u>प्रार्थना पत्र सं.</u> 69/2013

1. नन्द सिंह पुत्र भादर नवीरा खेत सिंह
2. चिमन सिंह पुत्र भादर नवीरा खेत सिंह
3. प्रकाश सिंह पुत्र भादर नवीरा खेत सिंह
4. जयसिंह पुत्र सुल्तान नवीरा खेत सिंह
   जाति राजपूत निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. देबू सिंह पुत्र सुल्तान सिंह नवीरा खेत सिंह .... (मृतक)

5/1. किरण पत्नी स्व. देबू सिंह } जाति राजपूत निवासी बसन्त बिहार
5/2. सचिन पुत्र स्व. देबू सिंह } तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5/3. टीना पुत्री स्व. देबू सिंह
5/4. सुमित पुत्र स्व. देबू सिंह
नाबालिग जरिये वाद मित्र माता किरण पत्नी देबू सिंह जाति राजपूत निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीगण

<u>ब–ना–म</u>

1. भोपाल सिंह पुत्र जमन सिंह नवीरा खेत सिंह
2. अमर सिंह पुत्र जमन सिंह नवीरा खेत सिंह
3. राज कंवर पत्नी बन्ने सिंह पुत्रवधु जमन सिंह
4. विजय सिंह पुत्र बन्ने सिंह नवीरा जमन सिंह
5. राजूसिंह पुत्र बन्ने सिंह नवीरा जमन सिंह
   जाति राजपूत निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6. कमला पुत्री बन्ने सिंह पत्नी जगदेव सिंह जाति राजपूत निवासी कपुरी, पोस्ट व तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
7. उगली पुत्री बन्ने सिंह पत्नी कुन्दन सिंह जाति राजपूत निवासी कपुरी, पोस्ट व तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
8. पल्लु (गीता) पुत्री बन्ने सिंह पत्नी सतपाल सिंह जाति राजपूत निवासी कपुरी, पोस्ट व तहसील कनीना जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
9. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........अप्रार्थीगण

<u>आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:20 IST
Reason: SelfAttested

<u>निर्णय</u> दिनांक 28–06–2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं और स्व. खेत सिंह के वंशज और वारिस हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता भादर व सुल्तान तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 का पिता व

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीया सं. 3 का ससुर व अप्रार्थी सं. 4 लगा. 8 का पितामह जमन सिंह स्व. खेत सिंह के पुत्र थे एवं तीनों भाईयों में सबसे बड़ा जमन सिंह था और प्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का पिता भादर व प्रार्थी सं. 4 व 5 का पिता सुल्तान छोटे थे। इसलिये जमन सिंह घर में बड़ा होने के नाते कर्ता खानदान था और पुरे परिवार की देख रेख आना जाना सभी कार्य कर्ता खानदान होने के कारण जमन सिंह ही करता था। तथा भादर व सुल्तान सिंह दोनों भाई वादवर्णित भूमि को काश्त करते थे। लेकिन जमन सिंह कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयों में खातेदारी में नाम जमन सिंह ही दर्ज रहा और उसके देहान्त के बाद उसके वारिशान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जबकि मौके पर वाद वर्णित भूमि में भादर सुलतान जमन सिंह तीनों भाईयों के वारिशान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण बाहमी बंटवारा करके 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त हैं तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि में मकान भी बना रखे हैं एवं बिजली का कनेक्शन ले रखा है एवं परिवार सहित आबाद है। ग्राम खरखड़ा तहसील खेतड़ी के गत खसरा नंबर 900 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, गत ख.नं. 917 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा को संयुक्त रूप से खेत सिंह के तीनों पुत्र जमन सिंह, भादर सिंह, सुल्तान सिंह संवत् 2009 से पूर्व से काश्त करते आ रहे है जो खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2012 तक व संवत् 2013 से 2015 एवं संवत् 2016 से 2019 तक की गिरदावरियों में दर्ज है जिससे यह साबित है कि उक्त विवादित भूमि तीनों भाईयों की शामलाती थी व तीनों भाई इसको संयुक्त रूप से काश्त करते थे। लेकिन बाद में इस भूमि की खातेदारी जमन सिंह कर्ता खानदान होने के कारण उसने अपने नाम से दर्ज करवाली। लेकिन उक्त भूमि में तीनों भाईयों का बराबर–बराबर अर्थात् 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काश्त करते रहे हैं एवं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। भूमि गत ख.नं. 900 व 917 के हाल ख.नं. 683, 684, 685, 806 पैमाईश विभाग ने दौराने पैमाईश बनाये हैं। ग्राम खरखड़ा से नया राजस्व ग्राम बसन्त बिहार सृजित होने पर ख.नं. 683, 684, 685, 806 के नये ख.नं. 40 रकबा 0.76 है., ख.नं. 41 रकबा 0.18 है., ख. नं. 42 रकबा 0.53 है. ख.नं. 132 रकबा 0.54 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.01 है. बने है जिसमें प्रार्थीगण 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थीगण सं. 4 व 5 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा है तथा इसी अनुसार अपने पूर्वजों के समय से बाहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी पहले अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 के हकपूर्वाधिकारी जमन सिंह व उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज होने से प्रार्थीगण की भारी हकतलफी है इसलिये प्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। यदि अप्रार्थीगण गलत रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार दखल पैदा करते हैं एवं गलत रिकार्ड के आधार पर विवादित भूमि को किसी अन्य को बेचान, रहन दान आदि कर देते हैं तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 को जरिये अस्थाई [illegible] से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि वाके ग्राम बसन्त बिहार [illegible] भूमि खाता सं. 77 के ख.नं. 40 रकबा 0.76 है., ख.नं. 41 रकबा 0.18 है., ख.नं. [illegible] रकबा 0.53 है., ख.नं. 132 रकबा 0.54 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.01 है. में प्रार्थीगण के 2/3 हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे व वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना डाले व उनके हिस्से पर कब्जा ना करें व गलत रिकार्ड के आधार पर विवादित भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

विक्रय, रहन, दान व अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें व न ही अपने परिजनों आदि से करवाये।

(ख) अप्रार्थी सं. 9 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि यदि उनके सम्मुख अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 विवादित भूमि वाके ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 77 के ख.नं. 40 रकबा 0.76 है., ख.नं. 41 रकबा 0.18 है., ख. नं. 42 रकबा 0.53 है., ख.नं. 132 रकबा 0.54 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.01 है. के सम्बंध में किसी प्रकार का विक्रय पत्र, रहननामा, दान पत्र आदि पंजीयन करवाने हेतु पेश करें तो उन्हें पंजीयन नहीं करे ऐसा ना तो स्वयं करें व न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 3 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, अतः जवाब अवसर अप्रार्थी सं. 1 से 3 बन्द किया गया। शेष अप्रार्थीगण सं. 4 से 9 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 4 से 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2068–2071 खाता सं. 77 का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित भूमि बन्ने सिंह भोपाल सिंह अमर सिंह पि0 जमन सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। भूमि गत खसरा नंबर 900 व 917 से खसरा नंबर 683, 684, 685, 806 निर्मित हुए तथा ग्राम खरकड़ा से ग्राम बसन्त बिहार सृजित हुआ तो गत् खसरा नंबर 683, 684, 685, 806 से खसरा नंबर 40, 41, 42, 132 निर्मित हुए हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान की खातेदारी भूमि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का पाया जाता है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष का बनता है। अगर वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि में बाधा कारित करते हैं तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को ही होगी। अतः प्रार्थना पत्र के विचारणीय बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा।

अतः इस न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 77 खसरा नंबर 40, 41, 42, 132 कुल किता 4 कुल रकबा 2.01 है. के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:20 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner